न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला—दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जगराम बनाम बत्तीलाल मु.नं.– 75/24 किस्म – 212	
	आपत्ति खारिज की जावे। आपत्ति पर बहस का मनन किया। आपत्ति खारिज की जाती है। दस्तावेज शामिल पत्रावली ~~पूर्वानुसार~~ हो। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते बहस प्रा.पत्र 0.5 दिनांक 03.7.25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)	
	03.7.25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रा.पत्र 7.11 पर उभय पक्ष वकील की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र 7.11 दिनांक 17.7.25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
	17.7.25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 01.8.25 को पेश हो। [signature]	
	01.8.25 पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12.8.25 को पेश हो। [signature]	
	12.8.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज जगराम बनाम [illegible] मु.नं.– 75/24 किस्म – 7-2.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
75/2024	20.11.2024	12.08.2025

बउनवान

1. जगराम पुत्र रामकिशन, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. धर्मसिंह पुत्र रामसहाय, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. श्रीमोहन पुत्र रामकिशन, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
4. हुकमचन्द पुत्र रामकिशन, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. बत्तीलाल पुत्र नहनजी, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. खेमराज पुत्र नहनजी, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. सन्तोष पुत्र नहनजी, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
4. जयसिंह पुत्र नहनजी, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
5. मन्नालाल पुत्र भौंरीलाल, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
6. काडूराम पुत्र मन्नालाल, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
7. रमेश पुत्र मन्नालाल, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
8. रामनिवास पुत्र मन्नालाल, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
9. बनवारी पुत्र मन्नालाल, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
10. भरतलाल पुत्र हरीराम, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
11. लालजी पुत्र हरीराम, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
12. नवलकिशोर पुत्र हरीराम, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
13. जुगलकिशोर पुत्र हरीराम, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री राजूलाल गुराडिया।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 लगायत 9 – श्री धर्मसिंह राजपूत, श्री प्रदीप चौधरी ।
3. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 10 लगायत 13 – श्री खेमसिंह गुर्जर।

**प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की विवादित आराजीयात खाता सं. 335 का खसरा सं. 1653 रकबा 0.24 हैक्टे., 1654 रकबा 0.25 हैक्टे., 1655 रकबा 0.02 हैक्टे., 1656 रकबा 0.27 हैक्टे., 1657 रकबा 0.36 हैक्टे., 1658 रकबा 0.56 हैक्टे., कुल किता

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

06, कुल रकबा 1.70 हैक्टे., ग्राम बालाहेडा, पटवार हल्का बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित है। विवादित आराजीयात को प्रार्थीगण अपने बुजुर्गान के समय से कब्जा कर उपयोग–उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रार्थीगण के नाम से इन्द्राज है। उक्त आराजीयात से अप्रार्थीगण का या अन्य किसी भी व्यक्ति का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण शान्तिपूर्वक बेरोकटोक उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने के फिराक में रहते है। दिनांक 05.10.2024 को प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की देखभाल करने के लिये गये तो वहॉ अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि में कब्जा करने की नीयत से प्रार्थीगण की आराजी में जोत निकालने के लिये ट्रैक्टर चलाने की तैयारी कर रहे थे। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से कहा कि उक्त आराजीयात हमारी खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी है जिससे आपका कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। आप इसमें जबरदस्ती कब्जे का प्रयास क्यों कर रहे हो। इतने में सभी अप्रार्थीगण नाराज हो गये और प्रार्थीगण से कहने लगे कि हमारे लट्ठ में ताकत है, हम पैसे वाले व राजनैतिक पहुंच वाले है, हम तुम्हारी खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा कर तुम्हें बेदखल करेगे तथा पक्का निर्माण करेंगे व कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर नाकाबिल काश्त बनायेंगे और प्रार्थीगण की आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण अपनी धमकी में सफल हो गये तो प्रार्थीगण हमेशा–हमेशा के लिये अपने हक हकूकों से महरूम हो जायेगे और अपनी खातेदारी आराजीयात के उपयोग–उपभोग से वंचित हो जायेंगे। इसलिये प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजिमी आया है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार हैं, इसलिये प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। अप्रार्थीगण को दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वो अपनी धमकी में कामयाब हो जायेगें जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जबकि अप्रार्थीगण को पाबन्द करने पर उनको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को दौराने दावा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो विवादित आराजीयात पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करे, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, ना ही अवरोध उत्पन्न करे। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में किसी प्रकार का पुख्ता निर्माण नहीं करे और ना ही कृषि भूमि को अकृषि में ही परिवर्तित करें। उक्त कार्य न तो स्वयं करे और ना ही नौकरों व एजेण्टों से करावें।

2. प्रार्थीगण अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थीगण अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण ग्राम बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658 के मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 9 ने न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि विवादित आराजीयात में प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के पूर्वजों का कोई सम्बन्ध व वास्ता कभी नहीं रहा। उक्त आराजी के साबिक खसरा सं. 296, 324, 370 वाके

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

ग्राम बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा में हम उत्तरदाता के पिता एवं बाबा भोरया पुत्र हरसहाय की कब्जे काश्त रही है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड गिरदावरी संवत् 2022 से 2054 तक लगातार चला आ रहा है। उसके बाद भी हमारे पिता एवं भाई नहनजी तथा मेरा (मन्नालाल) तथा हम उत्तरदाता सं. 6 लगायत 9 की कब्जा काश्त चली आ रही है। हमारे बाबा व पिता भोर्‌या के तीन पुत्र थे जिनमें एक नहनजी, हम अप्रार्थीगण उत्तरदाता सं. 1 लगायत 4 के पिता तथा एक मन्नालाल अप्रार्थी सं. 5 तथा टुण्डाराम था जिसके कोई सन्तान नहीं थी। इस कारण भोरया के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि पर हम उत्तरदाता की कब्जा काश्त उनके समय से ही चली आ रही हैं जिससे उक्त भूमि पर हमारा तीन पीढियों से लगातार बिना किसी रूकावट के कब्जा चला आ रहा है। वर्तमान में भी उक्त आराजी पर हमारा कब्जा मौके पर है, खसरा सं. 1655 में कुछ हिस्से पर बाउण्ड्रीवाल कर रखी है तथा टीनशेड डाल रखी है व खसरा सं. 1656 में दो बोरवैल कर रखे है तथा खसरा सं. 1657 में फार्म पौण्ड बना रखा है एवं खसरा सं. 1610, 1611 इन्ही खसरा नम्बरों से लगता हुआ नम्बर है जिनमे पुख्ता रहवास बना रखी है जिस रहवास में हमें निवास करते हुये 80 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। उक्त रहवास यहॉ पर भोरया पुत्र हरसहाय द्वारा की गई थी, तभी से यहॉ रहते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण का उक्त भूमि के किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। इस कारण उनके द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर तथा कब्जे के अभाव में मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का ही वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है जो खारिज योग्य है। प्रार्थीगण का उक्त आराजी के किसी भी हिस्से पर अथवा किसी भी खसरा नम्बर पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। उक्त आराजी पर हमेशा हमारा तथा हमारे पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा है। उक्त आराजी पर भोर्‌या पुत्र हरसहाय का कब्जा काश्त रहा है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड गिरदावरी संवत् 2022 से संवत 2054 तक बदस्तूर चला आ रहा है जिस कब्जे को 80 वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है तथा तीन पीढियों से लगातार बिना किसी रूकावट के कब्जा चला आ रहा है तो फिर प्रार्थीगण को बिनाय दावा कैसे उत्पन्न हुआ। उनको किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं है तथा कब्जा नहीं होते हुये भी प्रार्थीगण द्वारा मात्र अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र हम अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया है जो खारिज योग्य है। उससे प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। प्रार्थीगण के हक में यदि किसी भी प्रकार का आदेश न्यायालय पारित करती है तो अप्रार्थीगण उत्तरदाता की भारी क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कब्जे के अभाव में खारिज योग्य है। प्रार्थीगण का जब उक्त आराजी के किसी भी हिस्से में कोई कब्जा काश्त नहीं रहा, मात्र जमाबन्दी में खातेदारी के नुमाईशी इन्द्राज होने के कारण उनके द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर यह वाद पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है क्योंकि उक्त आराजी पर शुरू से ही हम उत्तरदाता के पिता एवं बाबा भोर्‌या पुत्र हरसहाय का कब्जा काश्त था जिसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में गिरदावरी में अंकित है तथा उसकी मृत्यु के बाद हमारा कब्जा काश्त लगातार बिना किसी व्यवधान के चला आ रहा है जिससे वादीगण का अथवा उनके पूर्वजों का कोई लेना–देना नहीं रहा है। उन्होने गलत तथ्यों के आधार पर मनगढन्त बिनाय दावा बनाया है जो खारिज योग्य है। हम उत्तरदाताओं द्वारा हमारी कब्जा काश्त की उक्त भूमि के खसरा सं. 1655 के कुछ हिस्से पर बाउण्ड्रीवाल पुख्ता कर रखी है तथा टीनशैड डाल रखी है। खसरा सं. 1656 में दो बोरवैल कर रखे है, खसरा स. 1657 में फार्म पौण्ड बना रखा है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (दौसा)

इन्हीं खसरा सं. के लगवा ख.स. 1610, 1611 मे पुख्ता रहवास बना रखी है जिस रहवास में निवास करते हुये हमें 80 वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है। उक्त रहवास यहॉ पर भोरया द्वारा की गयी थी जिसकी पूर्णतया जानकारी वादीगण को शुरू से ही रही है, उसके बावजूद भी उनके द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर यह वाद पत्र पेश किया है जो कि कब्जा का अभाव में खारिज होने योग्य है। विवादित आराजीयात की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम मात्र नुमाईशी रूप से है, उनका उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। कब्जा नहीं होने के कारण उनका ना तो प्रथम दृष्टया मामला ही साबित है और ना ही सुविधा का सन्तुलन ही उनके पक्ष में हैं बल्कि ये दोनों ही बिन्दु हम उत्तदाता के पक्ष में है। लिहाजा प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण का जब उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं होने के कारण कोई वास्ता नहीं है, फिर उन्हें अपूरणीय क्षति होने का सवाल ही नहीं है बल्कि अप्रार्थी उत्तरदाता का आराजी विवादित पर लगातार तीन पीढियों से कब्जा बिना किसी अवरोध के चला आ रहा है जिसमें वो बिना किसी कारण के अवरोध पैदा करना चाहते हैं। उनके द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। यदि उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के हक में किसी भी प्रकार का आदेश पारित किया जाता है तो उससे हमें अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थीगण का उक्त भूमि मे किसी भी हिस्से पर स्वयं का अथवा उनके पूर्वजों का कोई लेना देना कभी नहीं रहा, ना ही उनका उक्त भूमि पर कभी कब्जा ही रहा। उक्त भूमि के साबिक खसरा सं. 296, 324, 370 पर शुरू से ही भोर्‌या पुत्र हरसहाय की कब्जा काश्त रही है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड गिरदावरी में अंकित है जो संवत् 2022 से 2054 तक में अंकित है तथा हम उत्तरदाता के पिता एवं बाबा भोर्‌या पुत्र हरसहाय के बाद हमारा कब्जा काश्त शान्तिपूर्वक बिना किसी अवरोध के चला आ रहा है जिससे प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का नहीं रहा है। सायलान ने अपने सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि उसका उक्त भूमि पर कब्जा कैसे रहा है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी पर अपनी कब्जा काश्त नहीं होते हुये भी उनके द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर मात्र प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का ही पेश किया है। उक्त भूमि पर हम उत्तरदाता का लगातार तीन पीढियों से कब्जा काश्त शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। इस कारण प्रार्थना पत्र सायलान खारिज होने योग्य है।

4. अप्रार्थी सं. 10 लगायत 13 ने अपने जवाब में प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि ग्राम बालाहेडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा के खाता सं. नया 186, पुराना 185 खसरा सं. 1658 रकबा 0.56 हैक्टे. स्थित उक्त भूमि मिन उत्तरदाता अप्रार्थी सं. 10 लगायत 13 के दादा रतन लाल की खातेदारी रही है। दादा रतनलाल के समय से ही लगातार जवाबदाता के कब्जे व काश्त की भूमि रही है। उसके बाद जवाबदाता का पिता हरिराम जोतता बोता चला आ रहा है जिसको पिता के बाद से गैरसायल सं. 10 लगायत 13 निर्विवाद रूप से काश्त कर रहे हैं व उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त आराजी की फसल व पेड पौधों को जवाबदाता के दादा स्व. हरिराम व उसके बाद से जवाबदाता लाभान्वित होते चले आ रहे हैं परन्तु सैटलमेन्ट के दौरान अमीन की गलती की वजह से उक्त भूमि सायलान के नाम दर्ज कर दी गयी थी जिसकी दुरूस्ती कराने के लिये अप्रार्थीगण जवाबदाता के पिता ने कई बार प्रार्थीगण से कहा और प्रार्थीगण ने हॉ भी की थी लेकिन बाद में गुमराह करते रहे जिसको लेकर जवाबदाता द्वारा खाता सं.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

नया 186 पुराना 185 खसरा सं. 1658 का जवाबदाता के पिता द्वारा एक दावा उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के यहाँ उनवान हरिराम बनाम श्रीमोहन वगै. पेश किया गया था जो 2017 से एक्स पार्टी हो रखा है, वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त खसरा नंबर पर जवाबदाता द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भरतलाल बनाम श्रीमोहन वगै. न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें मौके की वर्तमान स्थिति बनाये रखने के आदेश पारित कर रखे हैं। उक्त आराजी से प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई सरोकार नही रहा है, कभी भी उक्त आराजी पर पूर्वजो के समय से आज तक कोई कब्जा नहीं रहा, ना ही कभी सायलान ने काश्त की है। केवल मात्र अमीन की लापरवाही के कारण जवाबदाता की भूमि प्रार्थीगण के नाम सहवन से दर्ज हो गयी जिसका फायदा उठाकर सायलान ने यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में जवाबदाताओं को केवल हैरान परेशान करने की गरज से पेश किया है। इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण का जवाब स्वीकार कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभय पक्ष ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है। तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है, इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

6. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। विवादित आराजीयात की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार, विवादित आराजीयात के प्रार्थीगण दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 9 द्वारा जवाब प्रार्थना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

पत्र में विवादित आराजीयात पर सम्वत् 2022 से 2054 तक अप्रार्थी सं. 1 लगायत 9 के पूर्वजों के कब्ज़ा इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड गिरदावरी में होने का कथन किया है। अप्रार्थी सं. 10 लगायत 13 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में विवादित आराजीयात पर अप्रार्थी सं. 10 लगायत 13 के पूर्वजों का कब्ज़ा होने का कथन किया है। प्रार्थीगण के द्वारा खुद को वर्तमान में विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त होने का कथन किया है जबकि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण का कब्ज़ा नहीं होने का कथन किया है। विवादित आराजीयात पर वर्तमान में कब्जे के बाबत कोई दस्तावेज किसी पक्षकार के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए वर्तमान में वादीगण विवादित आराजीयात पर काबिज हैं अथवा नहीं, इसका निर्धारण वादपत्र में साक्ष्य उपरान्त ही किया जाना संभव हो सकेगा। वर्तमान में आराजी का खातेदार वादीगण के होने के कारण सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक, विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुँचाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

7. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम बालाहेडा, पटवार हल्का बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खाता सं. 335 के खसरा सं. 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 20.11.2024 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, सम्पुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 12.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)